

10/3/22

अभिलेख उपलब्ध।

प्रथम पक्ष - उपलब्ध।

द्वितीय पक्ष - उपलब्ध।

उभय पक्षों के विज्ञापकताओं
को सुना। वरस सूची हुई।
अभिलेख ~~उपलब्ध~~ आदेशाव
रवि।

तुलित आदेश
अभिलेख में
संलग्न है।

10/3/22

अति सुधार उप -
समाहर्ता, पदार्थ।

अति सुधार
अ-समाहर्ता, पदार्थ।

ऑनलाईन प्रविष्टि करेंगे। विभागीय पत्रांक-2861, दिनांक-08.06.2017 को इस हद तक संशोधित समझा जाय। यदि ऐसे मामलों जमाबंदी रद्द करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है तो उसका निष्पादन उपरोक्त दिये गये निदेश के आलोक में किया जाय।"

पत्रांक-06 भूमि का नियमितीकरण-89/2020 1704/रा0, दिनांक-15.07.2020 के पारा 9 के कंडिका (vii) में अंकित है कि- " खतियान में जंगल, जंगल-झाड़ी इंद्राज के मामलों में T.N Godavarman Thirmulpad Vs Union of India 1995 " में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-8-78/1996-FC (pt) dated-10th March, 2015 के आलोक में इस प्रकार की जमाबंदियों की समीक्षा की जाय एवं तदोपरांत बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4 (h) के अंतर्गत जमाबंदी रद्द करने हेतु प्रारंभ की गई कार्यवाही से संबंधित अभिलेख में संतुष्ट होकर आदेश पारित किया जाय। "

Encroachment के संबंध में अंचल अधिकारी को **Bihar/Jharkhand public Land Encroachment Act 1956** के तहत विधिसम्मत सुनवाई करते हुए आदेश पारित करना है। ज्ञातव्य है कि अंचल अधिकारी को संबंधित मामले में यथोचित आदेश पारित करने का शक्ति निहित है।

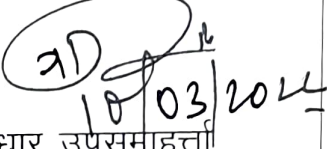
उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि इस वाद में विधिसम्मत/न्याय संगत सुनवाई करते हुए अंचल अधिकारी को ही आदेश पारित करना है। संबंधित पक्षों को सुनवाई हेतु पूर्ण अवसर देते हुए, भूमि से संबंधित कागजातों जैसे (खतियान, रजिस्टर ॥ एवं अन्य कागजातों आदि) का पुनः विस्तृत अवलोकन करते हुए तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा भिन्न-भिन्न समय पर जारी संकल्पों एवं पत्रों का अवलोकन करते हुए आदेश विधिसम्मत पारित करना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित रैयतों के लिए अलग-अलग अभिलेख संधारित कर नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अंचल अधिकारी, कुन्दा को अग्रेतर कार्रवाई हेतु संबंधित मूल अभिलेख एवं आदेश की प्रति भेजें।

वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

(लेखापित एवं संशोधित)


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
चतरा।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
चतरा।